<u>FYUG के अन्तर्गत सत्र 2023–27 में नामांकन हेतु छात्रों एवं महाविद्यालयों के लिए दिशा–निर्देश ।</u>

सत्र 2023–27 Four Year Under Graduate Programme under Choice Based Credit System (CBCS) के अन्तर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के सभी कोटि के महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए निर्देश तय किये गये हैं, जो निम्नवत हैं:–

(1) विद्यार्थियों का Admission Process शुरू करते समय महाविद्यालय के द्वारा गठित नामांकन समिति सर्वप्रथम विद्यार्थियों से निम्न दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्राप्त करेगें।

- (a) Xth Marksheet Photo copy
- (b) XIIth Marksheet Photo copy and original only for verification
- (c) Migration original
- (d) Caste certificate (If applicable)
- (e) E.W.S certificate (If applicable)
- (f) Handicapped (If applicable)

(2) विद्यार्थी अपने को आश्वस्त करते हुए सही–सही Caste एवं Category भरेंगे अन्यथा गलत Caste एवं Category भरने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। महाविद्यालय इसकी जॉच करेगें कि विद्यार्थियों के द्वारा अपने Cast एवं Category को नामांकन प्रपत्र (Admission form) में सही ढंग से अंकित किया गया है अथवा नही।

मेधा सूची में भरे गए Cast एवं Category की भी जाँच मूल जाति प्रमाण पत्र से करना अनिवार्य है। मूल जाति प्रमाण पत्र और प्रस्ताव पत्र (Offfer letter) में Cast एवं Category में अन्तर पाये जाने पर नामांकन को रद्द कर दें।

(3) विद्यार्थी Four Year Under Graduate Programme में नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म में Major Course में उसी विषय का चुनाव करेंगे जिसमें वे BA/B.Sc./B.Com करना चाहतें है। विद्यार्थी को +2 I.Sc./I.A./I.Com या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है।

(4) Selection list/offer letter में विद्यार्थी द्वारा अंकित Marks का मिलान मूल अंक पत्र से सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। मिलान में अन्तर पाये जाने पर विद्यार्थी का नामांकन रद्द कर दें।

(5) इस बार के नामांकन में महाविद्यालयों को छात्रों के द्वारा Minor Course, Multidisciplinary Course, MIL, Skill Enhancement Course, Value Added Course का विकल्प (choice) छात्रों से भरवाने और उसे उनके नामांकन प्रोफाईल में entry कराने के उपरान्त ही validate का Button Submit करेंगें तथा साथ ही साथ सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी ने सभी entry सही–सही भरा है।

22/5/2023

(6) ध्यान रहे कि नामांकन के साथ–साथ Registration भी होना है। विद्यार्थियों को Registration का Link तब तक नही मिलेगा जबतक महाविद्यालय विद्यार्थियों के नामांकन का सही सही विषयों का चुनाव कर Validate नहीं कर देते हैं। इसलिए महाविद्यालय नामांकन Validation की गम्भीरता को समझेंगे और तय समय सीमा के अन्तर्गत सभी प्रकार के त्रुटियों से रहित नामांकन को Validate करेंगें।

(7) किसी विद्यार्थी द्वारा भरे गए आवेदन (Application) में पाये जाने वाली छोटी–मोटी त्रुटियाँ जैसे–

(a) पिता का नाम (Father's Name),
(b) माता का नाम (Mother's Name)
(c) जन्मतिथि (Date of Birth)
(d) धर्म (Religion)

आदि त्रुटियों में सुधार Validation के समय महाविद्यालय के द्वारा स्वंय करके ही Validate किया जाएगा। महाविद्यकालय के द्वारा जैसे ही किसी विद्यार्थी का नामांकन validate किया जाता है तो उसी समय विद्यार्थी के Registered मोबाइल नम्बर पर विश्वविद्यालय के द्वारा नामांकित (Admitted) होने का संदेश दिया जाता है। यदि ऐसा नही होता है तो विद्यार्थी अपने नामांकन वाले महाविद्यालय में जाकर सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका नामांकन validate हुआ है अथवा नही।

(8) विद्यार्थियों के Admission Validate होने के तुरन्त बाद Registration Link मिल जाएगा। Registration Link पर जाकर विद्यार्थी Registration fee जमा करेंगे। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को देना महाविद्यालय की जावाबदेही होगी।

(9) विश्वविद्यालय के नामांकन प्रक्रिया पूरा होने के 10 दिनों बाद विद्यार्थी Registration Portal पर से Registration slip Download कर सकेंगे।

(10) Admission & Registration से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या यदि रह जाती हो तब उनके समाधान हेतु विद्यार्थी अपना आवेदन महाविद्यालय को देंगे तथा महाविद्यालय उन आवेदन पत्रों को अपने स्तर से प्राप्त कर त्रुटि सुधार हेतु विश्वविद्यालय में भेज देंगे। विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार के लिए आवेदन सीधे विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था नही है। ये सारी जबावदेही संबंधित महाविद्यालय को दिया गया है।

(11) विश्वविद्यालय द्वारा 3 (तीन) मेधा सूची निकाली जायेगी। यदि कुछ सीट खाली रह गए तब Merit cum Spot Round सम्पन्न होगा।

(12) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा।

22/5/2023